पुनरीक्षण प्र.क्र.
प्रस्तुती दिनांक – 27/10/17

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र., ग्वालियर केम्प इन्दौर के समक्ष

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2017/4626

मथुरा गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा
अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह पिता गुरूचरण सिंह भुल्लर
निवासी – 12, रूपरामनगर, इन्दौर (म.प्र.) —— पुनरीक्षणकर्ता

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री महेन्द्र सिंह भुल्लर
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 27-10-2017
को प्रस्तुत।

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा
तहसीलदार महोदय, इन्दौर —— प्रत्यर्थी

794
27-10-2017

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 350/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17/07/2017 से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह पुनरीक्षण श्रीमान के समक्ष निम्नांनुसार सादर प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/17/4626 जिला-इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21-2-2018	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-7-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पिपल्याराव की भूमि सर्वे क्रमांक 32 रकबा 10.230 हेक्टेयर भूमि वर्ष 1097-88 से राजस्व अभिलेखों में शासकीय नोईयत नदी मद में दर्ज रही है, जिसे पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के विलोपित करने में त्रुटि की गई थी । अत: अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	